न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी भोपालगढ़ जिला–जोधपुर

पीठासीन अधिकारी श्री सुखाराम पिण्डेल आर.ए.एस

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या– 19/2018

निर्णय दिनांक– 23.11.2020

प्रार्थीगण	बनाम	अप्रार्थी
1. चूनाराम पुत्र खीयाराम 2. सोनाराम पुत्र खीयाराम 3. देरामराम पुत्र खीयाराम 4. गिरधारीराम पुत्र खीयाराम जातियान जाट निवासी देवातड़ा तहसील भोपालगढ़ जिला जोधपुर		1. हमीरराम पुत्र बस्तीराम जाति जाट निवासी देवातड़ा तहसील भोपालगढ़ 2. तहसीलदार भोपालगढ़

राजस्व प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 131, 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

<u>निर्णय</u>

वकील प्रार्थीगण ने एक प्रार्थनापत्र अंतर्गत धारा 131, 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 पेश किया जिसके संक्षिप्त तथ्य निम्न प्रकार से है–

1. यह है कि ग्राम देवातड़ा की राजस्व सीमा में प्रार्थीगण की खातेदारी कृषि भूमि खसरा नं. 349 रकबा 10 बीघा 10 बिस्वा भूमि आई हुई है। खसरा नं. 349 के चिपते ही दक्षिण दिशा में खसरा नं. 351 की भूमि आई हुई है। खसरा नं. 351 के चिपते दक्षिण में खसरा नं. 352 की भूमि आई हुई है जिसके चिपते ही दक्षिण में देवातड़ा से नान्दिया जाने वाली डामर सड़क स्थित है। खसरा नं. 351 व खसरा नं. 352 में प्रार्थीगण के रहवासीय मकान, बाड़े पीढियों से बने हुए है एवं आने जाने हेतु निजी रास्ता स्थित है। जिसके पड़ौस निम्न प्रकार से है–

उत्तर दिशा– प्रार्थीगण का खेत खसरा नं. 349 स्थित है।

दक्षिण दिशा– देवातड़ा से नान्दिया जाने वाली डामर सड़क स्थित है।

पूर्व दिशा– अशोक पुत्र धनाराम जाट, नाथूराम पुत्र धूलाराम जाट व हमीरराम पुत्र बस्ताराम जाट के मकान स्थित है।

पश्चिम दिशा– गोरधनराम पुत्र रामूराम जाट, पपुराम पुत्र पूनाराम जाट का मकान व बाड़ा स्थित है।

2. उपरोक्त वर्णित पड़ौसियान के मध्य में प्रार्थीगण के पीढियों से रहवासीय मकान व बाड़े बने हुए है। जिसमें आने जाने हेतु निजी रास्ता स्थित है। डामर सड़क से लेकर प्रार्थीगण के खेत खसरा नं. 349 के बीच में प्रार्थीगण के रहवासीय मकान व बाड़े स्थित है। जिस पर आने जाने हेतु निजी रास्ता स्थित है। जो रास्ता प्रार्थीगण के खेत खसरा नं. 349 तक चलता है।

3. यह है कि दिनांक 18.03.2018 को दिन के करीबन तीन बजे अप्रार्थी संख्या 01 हमीरराम व अन्य एक राय होकर आये व प्रार्थीगण के बाड़ों में अनाधिकृत रूप से प्रवेश करते फिते से नाप चोप करने लगे तो प्रार्थीगण ने बाड़ो व मकानों में अनाधिकृत रूप से प्रवेश करने व नाप

23.11.2020

सहायक कलक्टर
एवं उपखण्ड अधिकारी
भोपालगढ़

उपखण्ड अधिकारी भोपालगढ़

Scanned with CamScanner

करने का कारण पूछा तो अप्रार्थी संख्या 01 व अन्य प्रार्थीगण से लड़ाई झगड़ा करने लग गये एवं ऐलानिया कहा कि प्रार्थीगण के मकान, बाड़े व रास्ते वाली भूमि अप्रार्थी संख्या 01 की भूमि खसरा नं. 352/1 की तरमीमसुदा भूमि है। दिनांक 21.03.2018 को प्रार्थीगण ने पटवारी से नक्शा की प्रमाणित प्रति प्राप्त की, तब प्रार्थीगण को मालूम हुआ कि अप्रार्थी संख्या 01 व अन्य ने हल्का पटवारी से मिलीभगत करके षड्यन्त्र रचकर प्रार्थीगण के मकान, बाड़ो व निजी रास्ते की भूमि हड़पने की नीयत से प्रार्थीगण के बाले बाले नक्शा किश्तवार में बिना सक्षम न्यायालय के आदेश के फर्जी कूटरचित तरीके से गलत तरमीम करवा दी है।

4. अप्रार्थी संख्या 01 का कब्जा प्रार्थीगण की जायदाद के पूर्व दिशा में है। जहां पर अप्रार्थी संख्या 01 ने तरमीम नहीं करवा कर प्रार्थीगण की जायदाद पर अप्रार्थी संख्या 01 ने सरासर गलत तरमीम करवाई है। अतः उक्त तरमीम को निरस्त फरमाया जाकर राजस्व रेकर्ड नक्शा किश्तवार दुरूस्त फरमाया जावे।

5. प्रकरण दर्ज कर समन जारी किए गए एवं अप्रार्थी संख्या 01 की ओर से श्री बाबूलाल बिश्नोई, ओमप्रकाश बिश्नोई ने वकालतनामा पेश किया एवं जवाब प्रार्थनापत्र किया गया जिसमें प्रार्थनापत्र में वर्णित तथ्यों को अस्वीकार किया और कथन किया कि प्रार्थीगण का खसरा नं. 352 में कोई हक, अधिकार व हित नहीं है। उक्त खसरों में अप्रार्थी संख्या 01 का खरीद सुदा जमीन खसरा नं. 352/1 के रूप में 10 बिस्वा गैर मुमकिन बाड़े के रूप में दर्ज है। उक्त बाड़े वाले भूभाग कंवराराम का आंवटन सुदा है जिसको कंवराराम पुत्र शिवजीराम ने पंजीबद्ध बेचाननामा दिनांक 27.08.2002 को अप्रार्थी संख्या 01 के पक्ष में बेचान कर दिया, उक्त क्रय के बाद अप्रार्थी संख्या 01 का आवासीय मकान व बाड़ा बना हुआ एवं हस्तगत प्रकरण में प्रार्थीगण खातेदार ही नहीं है। खसरा नं. 352 के किसी भी भूभाग पर प्रार्थीगण का कब्जा नहीं है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थनापत्र खारिज फरमाया जावे।

6. तहसीलदार भोपालगढ़ ने अपने जवाब प्रार्थनापत्र में बताया कि पटवारी हल्का देवातड़ा से प्राप्त मौका जांच रिपोर्ट अनुसार ग्राम देवातड़ा के खसरा नं. 352/1 रकबा 0–10 बीघा की तरमीम में बाद सीमांकन बिन्दुवार स्थिति निम्नानुसार है–

1. पपुराम पुत्र पुनाराम जाति जाट का रहवासीय मकान व बाड़ा
2. गिरधारीराम पुत्र खीयाराम जाति जाट का बाड़ा
3. खीयाराम जाट की ढाणी में जाने का रास्ता
4. सोनाराम पुत्र खीयाराम जाति जाट का बाड़ा

लट्ठा नक्शा में दर्शायी गयी खसरा नं. 352/1 की तरमीम में इस खसरे के खातेदार के अलावा अन्य खातेदार उपरोक्त क्र.सं. 01 से 04 का 0–05 बीघा भूमि पर कब्जा है। शेष 0–05 बीघा भूमि में क्र.सं. 05 पर खातेदार हमीरराम पुत्र बस्तीराम जाति जाट का रहवासीय मकान व बाड़ा है।

23.11.20

सहायक कलक्टर
एवं उपखण्ड अधिकारी
भोपालगढ़ (जोधपुर)

उपखण्ड अधिकारी भोपालगढ़

Scanned with CamScanner

उपरोक्त प्रकरण में उभय पक्ष की बहस एवं उपलब्ध राजस्व रेकर्ड के अनुसार प्रार्थीगण का प्रार्थनापत्र अंतर्गत धारा 131,136 राजरथान भू राजस्व अधिनियम 1956 का स्वीकार किया जाता है तथा पूर्व की गई तरमीम को निरस्त किया जाता है। तहसीलदार भोपालगढ़ को आदेशित किया जाता है कि मौके पर वर्तमान स्थिति अनुसार कब्जे के अनुसार तरमीम की जाकर पालना पेश करे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 23.11.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

23.11.2020

सुखाराम पिण्डेल
सहायक कलक्टर
(आर.ए.एस.) अधिकारी
भोपालगढ़ (जोधपुर)

उपखण्ड अधिकारी
भोपालगढ़